न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 261/2019 दायर दिनाँक 14.11.2019

वादी		प्रतिवादी
1. मोहनसिंह पुत्र भेरसिंह जाति राजपूत निवासी बिंचावा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी।

दिनाँक 19.03.2021

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके सरहद बिंचावा पटवार हल्का बिंचावा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र केराप में स्थित खेत खसरा सं0 526 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण, खेत खसरा सं0 570/553 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण, कुल रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त के अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित खेताय की खातेदारी में वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से भेरसिंह की जगह गलत इन्द्राज मोबसिंह दर्ज चला आ रहा है। चुंकि वादी के पिता को भेरसिंह व मोबसिंह के नाम से पुकारा जाता था, परन्तु आगे चलकर दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम भेरसिंह ही रहा व इसी अनुरूप वादी के साथ वादी के पिता का नाम खातेदारी में आना था। लेकिन भुलवंश वादी के पिता नाम खेत की खातेदारी में भेरसिंह की जगह मोबसिंह अंकित हो रखा है।

बिनाय दावा वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी वादी के पिता का सही नाम भेरसिंह होने से तथा अभी हाल समय में वादी को अपने पिता के सही नाम भेरसिंह की जगह मोबसिंह वाके सरहद बिंचावा में स्थित खेत खसरा सं0 526 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण व खेत खसरा सं0 570/553 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा में दर्ज होने की सदभावी जानकारी होने से तत्पश्चात वादी को काफी परेशानियों का सामना करने से व इस बाबत अपने पिता के नाम को सही तरिके से अंकित करवाने के लिए प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी द्वारा वादी के पिता का सही नाम दुरूस्त न [illegible] वादी के अधिकार खतरे में पड जाने से निरन्त[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना वादी है कि [illegible] बिंचावा [illegible] खसरा सं0 526 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 570/553 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण कुल रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा की खातेदारी [illegible] भुलवंश दर्ज वादी के पिता का गलत नाम मोबसिंह को रेकर्ड से हटाया जाकर वादी के पिता का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सही नाम भेरसिंह घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक विविध/ए.सी.एम. कार्ट/20/373 दिनांक 20.08.2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार ग्राम ग्राम बिंचावा के खसरा सं0 526 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 570/553 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा में मोहनसिंह पुत्रमोबसिंह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार जमाबन्दी चौसाला सं0 2072 से 2075 में दर्ज है। वादी राजस्व रेकर्ड में मोहनसिंह पुत्र मोबसिंह के स्थान पर मोहनसिंह पुत्र भेरसिंह करवाना चाहता है। उक्त खातेदार मोहनसिंह पुत्र भेरसिंह के समस्त पहचान दस्तावेजों (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, पेन कार्ड) में मोहनसिंह पुत्र भेरसिंह कौम राजपूत दर्ज है। ग्राम पंचायत बिंचावा के प्रमाण पत्र में मोहनसिंह पुत्र भेरसिंह सही होना बताया गया है। साक्ष्य वादी में वादी स्वयं का शपथ पत्र, गवाह रेवन्तसिंह, कल्याणसिंह के शपथ पत्र पेश हुए।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम मोहनसिंह पुत्र भेरसिंह जाति राजपूत दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद बिंचावा के खसरा सं0 526 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 570/553 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा में मोहनसिंह पुत्रमोबसिंह कौम राजपूत निवासी बिंचावा में खातेदारी में वादी का नाम मोहनसिंह पुत्र मोबसिंह के स्थान पर मोहनसिंह पुत्र भेरसिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **19.03.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 261/2019 दायर दिनाँक 14.11.2019

वादी		प्रतिवादी
1. मोहनसिंह पुत्र भेरसिंह जाति राजपूत निवासी बिंचावा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 19.03.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाके सरहद बिंचावा के खसरा सं0 526 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा व खसरा सं0 570/553 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा में मोहनसिंह पुत्र मोबसिंह कौम राजपूत निवासी बिंचावा में खातेदारी में वादी का नाम मोहनसिंह पुत्र मोबसिंह के स्थान पर मोहनसिंह पुत्र भेरसिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.......... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.03.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर ... के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.04.27 10:18:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner